

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक: प. 1 (1) कार्मिक/क-4/2018

जयपुर, दिनांक:- 4 DEC 2018


-: आज्ञा :-

निर्वाचन विभाग के अनुरोध पर आगामी विधानसभा चुनाव, 2018 के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं निर्वाचन प्रबन्धन के लिए निम्नांकित राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सेवाएं उनके नाम के सम्मुख अंकित जिलों में दिनांक 04.12.2018 से 10.12.2018 तक के लिए सौंपे जाने के आदेश एतद्वारा प्रदान किये जाते हैं:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	वर्तमान पदस्थापन	जिला
1.	मोहम्मद अबूबकर	शासन उप सचिव एवं उपायुक्त पंचायती राज विभाग, जयपुर	करौली
2.	वीरेन्द्र चौधरी	उपायुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।	जालोर
3.	अंजना शरावत	भूमि अवाप्ति अधिकारी, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।	धौलपुर


उपरोक्त अधिकारीगणों को निर्देशित किया जाता है कि वे तुरंत प्रभाव से अपने-अपने जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) को अविलम्ब उपस्थिति प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

  
( अरविन्द कुमार पोसवाल )  
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राज, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राज. जयपुर।
3. वरि. उप सचिव, मुख्य सचिव, राज. जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव, राज. जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर को निर्वाचन विभाग की अशा0टीप एफ.1 (31) III/बी/निर्वा/2004/11630 दि0 30.11.2018 के क्रम में लेख है कि कृपया उपरोक्त अधिकारियों को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करने का श्रम करावें।
6. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
7. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज0 जयपुर।
8. संबंधित कन्ट्रोलिंग अधिकारी- कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन व्यवस्था हेतु अविलंब कार्यमुक्त करने का श्रम करें।
9. संबंधित अधिकारीगण-कृपया निर्धारित तिथि को संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) के समक्ष आवश्यक रूप से उपस्थित हों।
10. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, (उपनिदेशक) कार्मिक विभाग।

  
शासन संयुक्त सचिव